राजस्व अपील संख्या : 14 / 2025
उनवान : डी.एफ.सी.सी. आई.एल (रेल्वे) अजमेर बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 14 / 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025 / 64

अपीलाण्ट्स :–

डी.एफ.सी.सी.आई.एल. रेल्वे अजमेर, राज. केन्द्र सरकार का उपक्रम

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

तहसीलदार बाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध मौजा बिरोलिया के नामान्तरकरण संख्या 178 स्वीकृति दिनांक 06.01.2011 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :– 1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल माली।
2. रेस्पोडेण्ट स्वयं उपस्थित।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 18.06.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **मौजा बिरोलिया पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 178 स्वीकृति दिनांक 06.01.2011 को निरस्त करवाने हेतु** पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बिरोलिया पटवार मण्डल बेडल तहसील बाली के खसरा संख्या 420 रकबा 1.22 हैक्टर की कृषि भूमि हापाराम के नाम आई हुई स्थित थी एवं खसरा संख्या 428 रकबा 0.33 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि आई हुई थी। डी.एफ.सी.सी. आई.एल. रेल्वे की मांग पर खसरा संख्या 420 में से 0.6762 हैक्टर की भूमि जरिये प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाली के द्वारा संशाधित अभिनिर्णय क्रमांक एफ. 15 (5)(1) बिरोलिया / राज / भू.अवाप्ति / 2010 / 1817 दिनांक 29.10.2010 के द्वारा आवंटित की गई जिसके अनुसरण में खसरा संख्या 420 में से 0.6762 हैक्टर का नामान्तरकरण रेल्वे विभाग के नाम पर होना था, मगर हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण नही करके खसरा नम्बर 428 रकबा 0.33 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि रेल्वे विभाग के नाम गलत रुप से कर दी, जो कि पूर्णतया गलत है। रेल्वे विभाग का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नही है। रेल्वे विभाग का कब्जा खसरा नम्बर 420 की भूमि पर है जो आज भी यथावत है तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि में से 0.6762 हैक्टर की भूमि रेल्वे विभाग के नाम पर किया जाना आवश्यक है। ग्राम बिरोलिया के नामान्तरकरण संख्या 178 को खारिज कर ग्राम बिरोलिया के खसरा संख्या 420 की भूमि में से 0.6762 हैक्टर की भूमि का नामान्तरकरण रेल्वे विभाग के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलार्थी की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम बिरोलिया के खसरा संख्या 420 में से 0.6762 हैक्टर की भूमि रेल्वे विभाग के नाम किये जाने का आदेश करावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 14/2025
उनवान : डी.एफ.सी.सी. आई.एल (रेल्वे) अजमेर बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेण्ट तहसीलदार बाली द्वारा अपील का प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का विनिश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी विभाग DFCCIL द्वारा जरिए अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली के ग्राम बिरोलिया के खसरा नम्बर 420 एवं 428 का अधिग्रहण किया गया था। किन्तु अवाप्ति उपरान्त रेस्पोडेण्ट तहसीलदार बाली द्वारा खसरा संख्या 420 का नामान्तरकरण प्रार्थी विभाग के नाम दर्ज ही नहीं किया, अपितु गलत ढंग से खसरा संख्या 428 का नामान्तरकरण दर्ज किया गया जबकि उक्त खसरा संख्या 428 गै.मु. रास्ता पर प्रार्थी विभाग का कब्जा ही नहीं है। अतः त्रुटिपूर्ण ढंग से दर्ज नामान्तरकरण संख्या 178 को खारिज किया जाए तथा ग्राम बिरोलिया के खसरा संख्या 420 में से 0.6762 हैक्टेयर भूमि रेलवे विभाग के नाम किए जाने का आदेश फरमावे।

वक्त बहस उपस्थित रेस्पोडेण्ट तहसीलदार बाली ने स्वीकार किया कि आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 178 के विवरण इस हद तक त्रुटिपूर्ण है कि नामान्तरकरण में दर्ज खसरा संख्या 420 के विवरण गलत इन्द्राज है। नामान्तरकरण में खसरा संख्या 420 के खातेदार के रुप में राजस्थान सरकार तथा किस्म के रुप में गै.मु. रास्ता दर्ज है जबकि खसरा संख्या 420 का खातेदार श्री हापाराम पुत्र सवाजी तथा किस्म गै.मु. थी। यह भी, कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 178 की परत में खसरा संख्या 420 का कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर भी गलत अंकित है, चूंकि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या 420 का कुल रकबा 1.22 है, जिसमें से 0.6762 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी विभाग के पक्ष में अवाप्त की गई थी।

रेस्पो. तहसीलदार बाली ने वक्त बहस यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट का यह कहना गलत है कि खसरा संख्या 428 का प्रार्थी विभाग के पक्ष में दर्ज इन्द्राज इस आधार पर त्रुटिपूर्ण है कि प्रार्थी विभाग का उक्त खसरा संख्या 428 किस्म गै.मु. रास्ता पर कब्जा नहीं है। सच्चाई यह है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बाली) द्वारा पारित संशोधित अभिनिर्णय में खसरा संख्या 420 के साथ साथ खसरा संख्या 428 की भूमि भी अवाप्त की गई थी।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा अपील मीमो, पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित दस्तावेजों तथा प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

यह निर्विवाद सत्य है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाली) द्वारा प्रार्थी विभाग के पक्ष में जारी अवाप्ति के संशोधित अभिनिर्णय क्रमांक/ 1488 दिनांक 31.03.2014 सपठित मूल अभिनिर्णय क्रमांक 1817 दिनांक 29.07.2010 में ग्राम बिरोलिया के खसरा संख्या 420 बहक खातेदार श्री हापाराम पुत्र सवाजी में से 0.6762 हैक्टेयर भूमि तथा खसरा संख्या 428 बहक खातेदार राजस्थान सरकार में से 0.1516 हैक्टेयर भूमि अवाप्त कर मुआवजे का निर्धारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी निर्विवाद है कि खसरा संख्या 420 का मूल रकबा 1.22 हैक्टेयर किस्म गै.मु. तथा अवाप्त रकबा 0.6762 हैक्टयेर था एवं खसरा संख्या 428 का मूल रकबा 0.33 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता तथा अवाप्त रकबा 0.1516 हैक्टेयर था।

यह भी सर्वसिद्ध तथ्य है कि जेर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 178 संशोधित अभिनिर्णय दिनांक 31.03.2014 से पूर्व ही दिनांक 06.01.2011 को स्वीकृत हो चुका था एवं पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज या विवरण उपलब्ध नही है जिससे यह उपधारणा की जा सके कि उक्त संशोधित अभिनिर्णय (अवार्ड) दिनांक 31.03.2014 की पालना में कोई नामान्तरकरण दर्ज किया गया था अथवा नहीं।

जहाँ तक जेर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 178 दिनांक 06.01.2011 का प्रश्न है तो उक्त नामान्तरकरण प्रथमदृष्टया ही त्रुटिपूर्ण साबित होता है, चूंकि खसरा संख्या 420 की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 14/2025

उनवान : डी.एफ.सी.सी.आई.एल (रेल्वे) अजमेर बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

किस्म एवं कुल रकबा क्रमशः गै.मु.रास्ता तथा 0.33 हैक्टेयर अंकित है, जबकि खसरा संख्या 420 बहक खातेदार श्री हमाराम पुत्र रामाजी की खातेदारी भूमि थी जिसकी कुल रकबे 1.22 हैक्टेयर में से 0.8782 हैक्टेयर भूमि अवाप्तशुदा थी। आलोच्य नामान्तरकरण में दर्ज त्रुटिपूर्ण इन्दाज को दोनों ही पक्षों ने स्वीकार भी किया है।

यद्यपि अपीलार्थी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि खसरा संख्या 428 का प्रार्थी विभाग के पक्ष में अधिकार अभिलेख में किया गया अमलदरामद रद्द किया जाए क्यों कि उक्त खसरा संख्या 428 गै.मु.रास्ता पर प्रार्थी विभाग का कब्जा नहीं है। अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बाली) द्वारा पारित संशोधित अवार्ड क्रमांक/1488 दिनांक 31.03.2014 में खसरा संख्या 420 के साथ साथ उक्त खसरा संख्या 428 गै.मु. रास्ता की 0.1516 हैक्टेयर भूमि भी प्रार्थी विभाग के पक्ष में अवाप्त की गई थी। अवाप्ति अवार्ड में संशोधन का न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार में नहीं है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत, अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 178 दिनांक 06.01.2011 पटवार हल्का बेड़ल को ख़ारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौज़ा बिरोलिया के खसरा संख्या 420 के मूल खातेदार तथा अपीलाण्ट, दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए DFCCIL रेलवे विभाग हेतु उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा पारित नवीनतम संशोधित अवाप्ति अवार्ड के अनुरुप ही नये सर नामान्तरकरण की कार्यवाही प्रभाव में लावें। तहसीलदार बाली को यह भी निर्देश दिये जाते है कि निर्णय की प्रति प्राप्त होने से एक माह की अवधि के भीतर निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली, जिला-पाली
बाली

Scanned with OKEN Scanner